

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

अमरचणू बनाम बालू (गैर)

किरण मुकदमा प्र.पत्र 111-188 नं० 93 सन् 2021

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
मे जारी हुए

11/2

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 27-11-21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

11/2

पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 के मप ठगुम पचायत बोर्डस मे पेश हुई, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए एवं तल्लीकर माण्डल से मौका दिवात प्राप्त हुई जिसे शा.पठ किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

मुकदमा संख्या :- 93/21 प्रा.पञ्ज

1- श्री अमरचन्द 5/0 श्री नारायण नाहाण निवासी - जोरावरपुर तहसील मांडल (गौरा)
(सहायिका पुत्र पञ्ज)

बनाम

1- श्री लालु 5/0 घन्ना बाट निवासी जोरावरपुर तहसील मांडल
2- राजराम राज्य परिण तहसील मांडल तं मांडल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 27-11-21

93/21

रक्षीकाल

503415

325

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर विवेदन किया कि ग्राम जोरावरपुर पटवार हल्का जोरावरपुर तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं. 1226/1117 कुल किता 01 रकबा 0.3415 हेक्टेयर - स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.11.21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम जोरावरपुर पटवार हल्का जोरावरपुर तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 1226/1117 कुल किता 01 रकबा 0.3415 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक राधार को 500/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी

मांडल (भीलवाड़ा)

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा करावें। प्रकरण में प्रस्तुत करें।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021